



# उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ)अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

रेलवे रोड हरिवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) — 248001

Phone - +91-0135-2685124 Fax -+91 0135-268513

Email:- uttarakhandayurved@gmail.com

पत्रांक : 112/उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2021-22

दिनांक : 16/04/2022

## सम्बद्धता विस्तारण कार्यालय आदेश

### शैक्षणिक सत्र-2021-22

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, (आयुष मंत्रालय) भारत सरकार की संस्तुति/स्वीकृति पत्र संख्या Ref. 3-4/2021-Ay.(1) दिनांक 09.11.2021 के क्रम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा-33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में निम्नांकित संस्थान को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्थान/महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	02	03	04	05
1	गुरुकुल परिसर, हरिद्वार उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।	BAMS MD/MS	75 सीट 15 सीट (शल्य तन्त्र - 03 पंचकर्म - 04 कायचिकित्सा -04 शालाक्य तन्त्र-02 कौमारभृत्य - 02)	शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता।

- परिसर/संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।
- परिसर/संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फ़ैकल्टी की नियुक्ति होने की पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।
- परिसर/संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
- छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो संस्थान के विरुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- यदि संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये दी गयी अनापत्ति को वापस लिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
- संस्थान में कार्यरत फ़ैकल्टी सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार/NCISM एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप अनिवार्य रूप से क्रास चेक/RTGS द्वारा उनके नाम से खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। यदि किसी भी निरीक्षण के दौरान संस्थान द्वारा पूर्ण फ़ैकल्टी नहीं पाई जाती है अथवा अभिलेखों में इसकी पुष्टि नहीं होती है तो जारी अनापत्ति के सापेक्ष उक्त संस्था के संबंधित पाठ्यक्रम रोके जाने हेतु

8. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार आरक्षण दिया जाना होगा।
9. पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में समय-समय पर पुष्टि विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।
10. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्था द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्थान द्वारा तीन माह के अन्तर्गत उक्त शर्तों का अनुपालन किया जा चुका है इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। अन्यथा आगामी वर्ष में सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

उक्त आदेश मा० कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त एवं निर्देशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(डॉ० राजेश कुमार)

प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष/सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राजभवन, देहरादून।
6. निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. कुलसचिव, उ०आ०वि० देहरादून।
8. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
9. परिसर निदेशक, गुरुकुल परिसर, हरिद्वार उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
10. गार्ड फाईल।

(डॉ० राजेश कुमार)

प्रभारी कुलसचिव